·यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

·मिशल संख्या:– 248/2019 निर्णय दिनांक :– 12.12.2023

·उनवानी **प्रार्थना पत्र** :

1. रघुवीर प्रसाद पुत्र राधाकिशन जात्ति ब्राहम्ण निवासी बड़ा थांवला तहसील देवली जिला टोक राज0
2. विनोद कुमार पुत्र राधाकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी बड़ा थांवला तहसील देवली जिला टोक राज0
3. रमेशचन्द पुत्र राधाकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी बड़ा थांवला तहसील देवली जिला टोक राज0
4. शिमला पुत्री राधाकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी बड़ा थांवला तहसील देवली जिला टोक राज0
5. मु0सोहनी देवी बेवा राधाकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी बड़ा थांवला तहसील देवली जिला टोक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. कालूराम पुत्र लादू जाति ब्राहम्ण निवासी माताजी का थांवला तहसील देवली जिला टोक राज0
2. महेन्द्र कुमार पुत्र लादू जाति ब्राहम्ण निवासी माताजी का थांवला तहसील देवली जिला टोक राज0
3. सूरजकरण पुत्र लादू जाति ब्राहम्ण निवासी माताजी का थांवला तहसील देवली जिला टोक राज0
4. स्याणी पुत्री लादू जाति ब्राहम्ण निवासी माताजी का थांवला, तहसील देवली जिला टोक राज0
5. सन्जु पुत्री लादू जाति ब्राहम्ण निवासी माताजी का थांवला तहसील देवली जिला टोक राज0
6. सोहनलाल पुत्र श्योजी जाति ब्राहम्ण निवासी माताजी का थांवला तहसील देवली जिला टोक राज0
7. महावीर पुत्र श्योजी जाति ब्राहम्ण निवासी माताजी का थांवला तहसील देवली जिला टोक राज0
8. रामकुवांर पुत्र श्योजी जाति ब्राहम्ण निवासी माताजी का थांवला तहसील देवली जिला टोक राज0
9. मदनदास पुत्र जगन्नाथदास जाति वैष्णव निवासी बड़ा थांवला तहसील देवली जिला टोक राज0

10. परसुरामदास पुत्र जगन्नाथदास जाति वैष्णव निवासी बड़ा थांवला तहसील देवली जिला टोक राज0
11. रूपदास पुत्र जगन्नाथदास जाति वैष्णव निवासी बड़ा थांवला तहसील देवली जिला टोक राज0
12. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोक राज0

—अप्रार्थीगण—

उपस्थिति :—
श्री प्रकाश चन्द जैन
श्री राजेन्द्र शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251ए, राज0 टिनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम थांवला पटवार हल्का थांवला तहसील देवली जिला टोक राज0 में स्थित है । प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण 1 ता 8 की खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1172 रकबा 0.49 है0 व अप्रार्थीगण 9 ता 11 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1173 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम थांवला तहसील देवली जिला टोक राज0 मे स्थित है, के मध्य मे से होकर काफी वर्षो से आ जा रहे है तथा अपने कृषि उपकरण लाते ले जाते रहे है परन्तु अब अप्रार्थीगण 1 ता 11 ने प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि में आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त भूमि पर आने जाने मे काफी परेशानी हो रही है तथा रास्ते के अभाव मे प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि को काश्त करने से वंचित हो रहे है जिसके कारण काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त भूमि पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी उक्त आराजीयात मे आने जाने व कृषि यंत्र व जानवर लाने ले जाने हेतु अप्रार्थीगण 1 ता 8 की खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1172 रकबा 0.49 है0 व अप्रार्थीगण 9 ता 11 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1173 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम थांवला तहसील देवली जिला टोक राज0 मे स्थित है, के मध्य मे से होकर 20 फीट चोडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं

योचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। आराजी भूमि खसरा नम्बर 1172 की खातेदार लादी पुत्री पोलू की मृत्यु हो चुकी है जो लाऔलाद फोत हुई है तथा सह तेदार नाथी पुत्री श्योजी व झमकू बेवा श्योजी व जगन्नाथ पुत्र धन्ना की मृत्यु हो चुकी है। क्त सहखातेदार मृतक लादी, नाथी, झमकू जगन्नाथ के वारिसान अप्रार्थीगण 1 ता 8 है तथा नके अलावा अन्य कोई वारिस नही है। प्रार्थी नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशी जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अ. धारा 251ए आर टी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम थांवला पटवार हल्का थांवला तहसील देवली जिला टोक राज मे आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने आदि के लिये अप्रार्थीगण 1 ता 8 की खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1172 रकबा 0.49 है0 व अप्रार्थीगण 9 ता 11 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1173 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम थांवला तहसील देवली जिला टोक राज0 मे स्थित है, के मध्य मे से होकर 20 फीट चोडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास तुनगारिया ने वकालतनामा व जवाब पेश किया।

जवाब इस प्रकार है:– जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या की ओर से निम्न प्रकार पेश है:– प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 स्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 जिस प्रकार से वर्णित हैं गलत हैं, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 जिस प्रकार से वर्णित हैं गलत हैं, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 जिस प्रकार से वर्णित हैं गलत हैं, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 गलत हैं, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र के अन्त में चाहा गया अनुतोष स्वीकार नही हैं। मुलाहिजा हो विशेष आपत्तिया :–**विशेष आपत्तियां:–** प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1172 में से कभी भी आते जाते नही रहे है तथा मौके पर कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 1174 के उपर उत्तर दिशा की तरफ पर्याप्त चौडा रास्ता नहर के सहारे सहारे राजकीय भूमि मे गै0 मु0 तालाब में उक्त गै0मु0 तालाब खसरा नम्बर 924 में से नहरे निकली हुई है। उक्त

हर व प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 1174 के बीच 20 फिट का रास्ता बना हुआ हैं, जो आगे जाकर सड़क मार्ग मिल जाता है। उक्त रास्ते मे से होकर प्रार्थीगण अपनी भूमि पर आते जाते रहे हैं तथा आज भी मौके पर प्रार्थीगण की भूमि की उत्तरी दिशा की और नहर के सहारे रास्ता बना हुआ है, जो राजकीय भूमि खसरा नम्बर 924 है। प्रार्थीगण वर्षों से इसी रास्ते से होकर अपनी भूमि पर आ जा रहे है। इस कारण प्रार्थीगण को अन्य कोई रास्ते की आवश्यकता नही है। अधिनियम के प्रावधान अनुसार यदि भूमि पर वैकल्पिक रिकॉर्डेड रास्ता होता है तो इस धारा के अन्तर्गत प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त नही कर सकते। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1174 में खसरा नम्बर 924 राजकीय भूमि के दक्षिणी दिशा की तरफ 20 फिट चौडे रास्ते से आते जाते रहे हैं, जो प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 1174 उत्तरी दिशा की तरफ अड़वा स्थित हैं। प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता होते हुये भी यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 1172 के अन्य सहखातेदार अथवा उनके वारिसों को पक्षकार नही बनाया गया हैं इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षीगण 9,10 व 11 की ओर से निम्न प्रकार पेश हैः—

प्रार्थना पत्र का चरण नं. 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं.2 हम प्रतिपक्षीगण की हद तक स्वीकार है। प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने के रास्ते मे से 6 फीट चोडा रास्ता देने के लिये तैयार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं.३ आंशिक रूप से स्वीकार है। प्रतिपक्षीगण अपनी खातेदारी की आराजी भूमि 1173 मे से 6 फीट चोडा रास्ता प्रार्थीगण को देने के लिये तैयार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 5 कानूनी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिपक्षीगण अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1173 मे 6 फीट चोड़ा रास्ता दे दिया जावे तो इसमे हम प्रतिपक्षीगण को कोई आपत्ति नही है।

अप्रार्थी संख्या 12 तहसीलदार देवली की जवाब/रिपोर्ट इस प्रकार हैः—

प्रार्थी की आराजी तक पहुंचने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को ...ते की अत्यन्त आवश्यकता है। ग्राम थावला के ख. नं. 1173 में 3 मीटर चौडाई व 64 मी0 लम्बाई = 192 मीटर होता है। आराजी ख0न0 1172 में 72 मीटर लम्बाई व 3 मीटर चौडाई = 216 मीटर होता है। आराजी ख0न0 1090 जो राजस्व रिकार्ड सियाचयक भूमि है जिसकी लम्बाई 40 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर = 240 मीटर होता है। जो रास्ते के काम आयेगी। 4. ग्राम थोवला की डीएलसी दर 43.43 पैसा प्रति वर्ग मी0 है जो निम्न प्रकार है–

क्षेत्रफल दर

क. सं.	ख. नं.	क्षैत्रफल	दर	राशि	दोगुनी राशि
1	1173	192	43.43	8339	16678
2.	1172	216	43.43	9381	18762
3.	1190	240	43.43	10424	20848
	किता 3	648	43.43	28144	56288

प्रार्थी की खातेदारी 1174/0.51 है0 भूमि खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थी आराजी ख. नं. 1172/0.49 व 1173/0.28 है0 में खातेदारी भूमि से व ख0न0 1190 सिवाचक भूमि में से रास्ता चाहता है, जिसे लाल स्याही से चिन्हित कर नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है। प्रस्तावित करते के मध्य कोई निर्माण पेड़ पौधे नहीं है। अप्रार्थी 1172/0.49 वाले खातेदार रास्ता देने में असहमत है। ख0न0 1173/0.28 है0 वाले अप्रार्थी रास्ता देने के लिये सहमत है। आराजी ख0म0 1190 गै. मु. सिवायचक राजकीय भूमि है जो मौके पर खाली है आवागमन में कोई व्यवधान नहीं है। रास्ता दर्ज किया जाना उचित नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 6 व 8 की ओर से प्रार्थना पत्र राज0 अभि धरती (सरकार) नियम 2012 का नियम 69 सपठित धारा 151 सीपीसी, प्रार्थना पत्र मंगवाये जाने रास्ते बाबत पुनः मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश किया।

बाद बहस न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, निर्णय शामिल पत्रावली है।

अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 8 ने उक्त प्रार्थना पत्र के निर्णय के विरूद्ध निगरानी मा. न्यायालय राजस्व मण्डल में पेश की।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक में 25.08.2022 में निगरानी स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित आक्षेपित आदेशित निरस्त किया गया और पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई है कि वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता के बारे में स्पष्ट टिप्पणी करते हुए तहसीलदार से उभयपक्ष की उपस्थिति में रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर प्राप्त करे। तदुपरांत मौका रिपोर्ट पर पक्षकारों की आपतियों बाबत सुनवाई कर दो माह की समयावधि में प्रकरण का विधिअनुसार निस्तारण करे।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 25.08.2022 के क्रम में तहसीलदार देवली को क्रमांक राजस्व/कोर्ट/2022/828 दिनांक 15.09.2022 को पत्र लिखा गया।

तहसीलदार देवली द्वारा क्रमांक राजस्व/2022–38 दिनांक 20–1–2023 द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है। उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि धारा 251 ए के अन्तर्गत खातेदारी में जाने हेतु रघुवीर प्रसाद बनाम कालूराम वगैरह ने ग्राम थांवला की जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 480 खसरा नं0 1174 रकबा 051 है0 ने कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग हेतु प्रतिवादी खाता संख्या 42 ख0न0 1172 रकबा 0.49 है0 व खाता संख्या 396 खसरा न0 1173 रकबा 0.28 है0 व सिवायचक खाता संख्या 01 खसरा न0 1190 रकबा 169 में से कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए रास्ता चाहा गया था उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, देवली के निर्णय के बाद राजस्व मण्डल अजमेर राज0 द्वारा वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता के बारे में स्पष्ट टिप्पणी चाही गयी थी उपरोक्त निर्देशों की पालना में भू. अभि. नि. मालेड़ा व पटवारी हल्का थांवला व प्रार्थीगण की उपस्थिति में मौका देखा गया। अप्रार्थीगण ख0न0 1173 के खातेदार भी उपस्थित रहे। जिसकी मौका रिपोर्ट निम्न अनुसार हैः–प्रार्थी को आराजी में पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्राथी को रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक है। ग्राम थांवला के ख0नं0 1173 में रास्ते की चौडाई 03 मीटर लम्बाई 64 मीटर कुल 192 वर्ग मीटर, ख0नं0 1172 में चौड़ाई 03 मीटर लम्बाई 68 मीटर कुल 204 वर्ग मीटर, ख0न0 1190 में चौडाई 06 मीटर लम्बाई 40 मीटर

240 वर्ग मीटर होगी। इस प्रकार रास्ते की कुल लम्बाई 172 मीटर चौड़ाई 06 मीटर 1032 वर्ग मीटर होगी। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 410408 रुपये प्रति हैक्टेयर जिसकी एक गुणा राशि 42354 व दुगुनी 84708 रूपये है। प्रार्थी की भूमि ख0 न0 1174 रकबा 0.51 खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी खसरा नं0 1172, 1173 व 1190 में से रास्ता चाहता है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ता के मध्य कोई पेड़ निमार्ण संरचना आदि नहीं है। अप्रार्थी आराजी ख0न0 1173 वाले खातेदार रास्ता देने हेतु सहमत है परन्तु ख0न0 1172 वाले खातेदार रास्ता देने के लिए सहमत नहीं है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः जमाबंदी, नक्शा ड्रेस और डीएलसी की छायाप्रति संलग्न कर श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 व सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत नियुक्त किये जाने मौका कमिश्नर पेश किया जो इस प्रकार हैः–उक्त उनवानी प्रकरण में आज की तारीख पेशी नियत है। उक्त उनवानी प्रकरण में निर्णय हेतु प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1174 की उत्तरी दिशा की तरफ खसरा नम्बर 1005 किस्म नहर, खसरा नम्बर 924 किस्म गै.मु. तालाब प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1174 के उत्तरी दिशा की तरफ 20 फिट चौड़ा रास्ता नहर के सहारे–सहारे बना हुआ है जो आगे जाकर मुख्य मार्ग से मिल जाता है। उक्त रास्ता नहर के रख–रखाव हेतु है। जिससे प्रार्थीगण अपने कृषि भूमि पर आते–जाते रहे है। जब प्रार्थीगण के पास कृषि भूमि पर आने–जाने का रास्ता है तो अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1172 से रास्ते की मांग नहीं कर सकते। न्यायहित एवं ऐसी स्थिति में तहसीलदार देवली को मौका निरीक्षक नियुक्त कर नहर खसरा नम्बर 1174 की मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे कि मौके पर नहर कितनी चौड़ी बनी हुई है, व राजस्व नक्शा सीट में कितनी चौड़ाई है, के बाबत् स्पष्ट रिपोर्ट मंगवाई जाना आवश्यक है जिससे उक्त पत्रावली का न्यायिक निर्णय किया जा सके। अतः प्रार्थना पत्र उपरोक्तानुसार स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार देवली को मौका निरीक्षक नियुक्त कर विस्तृत रिपोर्ट मंगवाने के आदेश फरमावे।

छायाप्रति अधिवक्ता अप्रार्थी(प्रार्थी) को दिलवायी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी(प्रार्थी) ने जवाब नही देना जाहिर कर सीधे ही बहस की र्थना की।

अधिवक्ता प्रार्थी(अप्रार्थी) ने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो ा ही दोहरान करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता अप्रार्थी(प्रार्थी) ने कथन किया कि पूर्व में इसी तरह का प्रार्थना पत्र नियम 69 सपठित धारा 151 सीपीसी, प्रार्थना पत्र मंगवाये जाने रास्ते बाबत पुनः मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश किया था जिसको न्यायालय हाजा ने खारिज कर दिया था जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार ही पुनः तहसीलदार देवली से स्पष्ट रिपोर्ट ली गई जो पूर्व रिपोर्ट के समान ही है। अधिवक्ता केवल पत्रावली के निर्णय को विलम्बित करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो पूर्णतया खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। इस तरह का प्रार्थना पत्र पूर्व में पेश किया था जिसको न्यायालय हाजा ने खारिज किया था। इस स्थिति में प्रार्थना पत्र पेश करने से स्पष्टया प्रतीत होता है कि अधिवक्ता ने निर्णय को लम्बित करने के लिए पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने पत्रावली पर बहस की प्रार्थना की जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थी ने कोई आपति पेश नहीं की।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया दो बार तहसीलदार देवली की रिपोर्ट आ चुकी है जिसके अनुसार प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है और कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी में जाने आने के लिए नहीं है। तहसीलदार देवली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई पेड़ या अन्य संरचना नहीं है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के विवादित आराजी के की उत्तरी दिशा की तरफ खसरा नम्बर 1005

म नहर, खसरा नम्बर 924 किस्म गै.मु. तालाब प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1174 के ो दिशा की तरफ 20 फिट चौड़ा रास्ता नहर के सहारे–सहारे बना हुआ है जो आगे कर मुख्य मार्ग से मिल जाता है। उक्त रास्ता नहर के रख–रखाव हेतु है। जो आम गरिको के लिए सुगम व सुलभ है और प्रार्थीगण इसी रास्ते से अपनी कृषि भूमि पर ाते–जाते रहे है। जब प्रार्थीगण के पास कृषि भूमि पर आने–जाने का वैकल्पिक रास्ता है तो प्रार्थीगण को इस एक्ट के प्रावधानो अनुसार रास्ता नहीं दिया जा सकता है। तहसीलदार देवली ने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर यह रिपोर्ट पेश की है, जो गलत है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने रिब्टल में कथन किया कि यदि प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता होता तो वह न्यायालय में क्यों आता और क्यों कीमतन रास्ता लेता। तहसीलदार देवली ने मौका देखकर गवाहो के सामने रिपोर्ट बनाई है जो सही है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के ख. नं. 1174 मे जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थीगण की आराजी ख. नं. 1174 में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है और रास्ते में अन्य कोई संरचना दीवार, पेड़ इत्यादि नहीं है। अप्रार्थीगण अनुसार प्रार्थीगण की विवादित आराजी ख. नं. 1174 के उत्तरी दिशा की तरफ खसरा नम्बर 1005 किस्म नहर, खसरा नम्बर 924 किस्म गै.मु. तालाब प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1174 के उत्तरी दिशा की तरफ 20 फिट चौड़ा रास्ता नहर के सहारे–सहारे बना हुआ है जो आगे जाकर मुख्य मार्ग से मिल जाता है। उक्त विवेचन से यह तथ्य सामने आते है कि यदि प्रार्थीगण अपनी आराजी भूमि में आ जा सकते तो न्यायालय में रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र पेश ही नहीं करते जबकि अप्रार्थीगण 9 ता 11 अपनी भूमि ख. नं. 1173 से रास्ता देने हेतु सहमत है। अगर रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक नहीं होती तो अप्रार्थीगण संख्या 9 ता 11 भी इस रास्ते का विरोध करते। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी

जी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है, की रिपोर्ट व लाल ाही से दर्शित नक्शा ट्रेस अनुसार वाके ग्राम थांवला के ख. नं. 1174 में जाने हेतु आराजी . नं. 1173 में चौडाई 3 मी. व लम्बाई 64 मी. क्षैत्रफल 192 वर्ग मी. ख. नं. 1172 में चौड़ाई मी. व लम्बाई 68 मी. क्षैत्रफल 204 मी. व ख. नं. 1190 में चौड़ाई 6 मी. लम्बाई 40 मी. क्षैत्रफल 240 वर्ग मी. अर्थात कुल लम्बाई 172 मी. व चौड़ाई 6 कुल क्षैत्रफल 1032 वर्ग मी. भूमि के लिए डीएलसी दर 410408/- रूपये प्रति है0 अनुसार 1032 वर्ग मीटर के लिए एक गुना राशि 42354/- रूपये अनुसार दुगनी प्रतिकर राशि 84708/- रूपये जमा करवाने पर आपकी रिपोर्ट में दर्ज लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, नक्शा ट्रेस अनुसार मौके पर तरमीम करे। बाद तरमीम अप्रार्थीगण को राशि संदाय करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/12/23

उपखण्ड अधिकारी
देवली

नोट :- आदेशिका दिनांक 29/1/2024 की पालना में उक्त निर्णय दिनांक 12.12.2023 में अंतिम पेज की लाईन ऊपर से 7 से 9 तक में कुल क्षेत्रफल 192+204+240 = 636 वर्ग मी. भूमि के लिए डी.एल.सी दर 430929/- रूपये प्रति है0 अनुसार 636 वर्ग मीटर के लिए एक गुना राशि 27407/- रूपये अनुसार दुगनी प्रतिकर राशि ~~[illegible]~~ 54814/- रूपये जमा करवाने पर पढा व समझा जावे।

29/1/2024

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)